

(3)

## न्यायालय माननीय राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर म.प्र

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. :-



पेशी तारीख :-

R | भिगरानी | बुरहानपुर | २५ रा | २०१७ | ३४९७

1. श्रीमती नंदा पति प्रमोद महाजन निवासी वार्ड नं. 12, ग्राम शाहपुर तहसील  
व जिला बुरहानपुर म.प्र. ....पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. श्रीमती अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर म.प्र.

.... प्रत्यर्थी

### पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

पुनरीक्षणकर्ता निवेदन करती है :-

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय बुरहानपुर के द्वारा तहसीलदार बुरहानपुर के राजस्व प्रकरण क्र. 96अ / 6 / 2014-15 (श्रीमती नंदा पति प्रमोद महाजन ..... आवेदिका विरुद्ध श्रीमती गीताबाई पति नारायण ..... अनावेदिका) में पारित किये गये आदेश दिनांक 10 / 08 / 2015 का कलेक्टर महोदय बुरहानपुर के तथाकथित पत्र दिनांक 15 / 07 / 2016 के आधार पर पुनर्विलोकन किये जाने की अनुमति देने संबंधी पारित किये गये आदेश दिनांक 04 / 07 / 2017 से दुखी पीड़ित होकर प्रस्तुत की गई है।

जैदा | ५७०  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक

१८२/ग्वा/उरहानपुर) २२.१.२०१७) ३५९७

जिला बुरहानपुर

पक्षकारों एवं अमिमाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
१-११-२०१७	<p>आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक ४-७-२०१७ की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये की सीलिंग की भूमि को न तो दान करने का और न ही विक्य करने का अधिकार रहता है। अतः तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दानपत्र के आधार पर नामान्तरण करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है इसलिये तहसीलदार के आदेश दिनांक १०-८-२०१५ के पुनर्विलोकन की अनुमति देने में प्रथमदृष्ट्या विधिसंगत कार्यवाही की गई है, अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	